<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।</u>
उपस्थित – **संध्या चौधरी,** एच0जे0एस0
JO Code-UP6161
****

<u>जमानत आवेदनपत्र संख्या–1578/2026</u>
<u>UPST010050652026</u>

सूरज चौहान पुत्र राम प्रताप, निवासी ग्राम पूरे मुन्ना पंडित मजरे रंकेडीह, थाना कुड़वार, जिला सुलतानपुर

.....प्रार्थी/अभियुक्त

<u>बनाम</u>

राज्य उत्तर प्रदेश । .....अभियोगी

अ0सं0–129/2026
धारा–109,115(2),352,351(2),351(3), बी0एन0एस0
थाना–कुड़वार, जिला–सुलतानपुर।

<u>दिनांकः 03.06.2026</u>

1. प्रार्थी/अभियुक्त सूरज चौहान की ओर से यह जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त मामले में अन्तर्गत धारा 483 बी0एन0एस0एस0 जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथपत्र रामप्रताप द्वारा दाखिल किया गया है जिसमें यह कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो किसी न्यायालय में विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

3. अभियोजन कथानक के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 10.05.2026 को करीब 04.30 बजे शाम को वादी का भाई सुमित कुमार तिवारी अपने दरवाजे पर लेटा हुआ था कि वादी के गांव का सूरज चौहान अपने हाथ में एक धारदार हथियार (बांका) लेकर आया और वादी के भाई को मां बहन की गाली देते हुए बोला कि साले आज तुम्हे मार डालूंगा जब तक वादी का भाई कुछ समझ पाता तब तक उपरोक्त सूरज चौहान ने हाथ में लिए हुए बांके से वादी के भाई को जान से मारने की नीयत से गले में बांके से जोरदार प्रहार करके घायल कर दिया। वादी के भाई की चीख पर घर की महिलाएं व वादी उसको पकड़ने का प्रयास किया तो वह जान से मार डालने की धमकी देते हुए बांका लहराते हुए भाग गया। वादी 112 पुलिस की मदद से अपने भाई को सीएचसी लेकर गया जहां हालत गम्भीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में वादी के भाई की हालत चिंता जनक बनी हुई है। अस्पताल में भर्ती कराकर घटना की लिखित सूचना देने आया हूँ।

4. प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि यह कि प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र न तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में और न ही किसी सक्षम न्यायालय में दिया गया है न विचाराधीन है। प्रार्थी निर्दोष है एवं मुकदमा उपरोक्त में हैरान व परेशान किये जाने की गरज से अभियुक्त बनाया गया है। वादी मुकदमा प्रार्थी का पड़ोसी है। चोटहिल वादी का भाई है जो दिन रात शराब के नशे में धुत रहता है। धारा 109

बी0एन0एस0 को छोड़कर समस्त धाराएं मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है और धारा 109 प्रार्थी पर आयत नहीं होती है। प्रार्थी 19 वर्षीय गरीब परिवार का व्यक्ति है। प्रार्थी से पुलिस द्वारा किसी हथियार की कोई बरामदगी भी नहीं की गयी है अगर पुलिस कोई बरामदगी दिखाती है वह बरामदगी सरासर झूठी और वादी के प्रभाव में की गयी दिखायी जायेगी। इन्हीं कथनों के साथ प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

6. जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

7. उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा अमित कुमार तिवारी के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अभियुक्त सूरज चौहान के विरूद्ध पंजीकृत करायी गयी है। चोटहिल के चिकित्सीय प्रपत्र पत्रावली में संलग्न है। चिकित्सीय प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि चोटहिल सुमित कुमार तिवारी के शरीर पर कुल 2 चोटें पायी गयी जो साधारण प्रकृति होना उल्लिखित है। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण उपरोक्त का कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियुक्त काफी समय से जिला कारागार सुलतानपुर में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में विवेचना प्रचलित है। अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की प्रकृति तथा अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले के गुण–दोष पर बिना कोई निष्कर्ष दिये हुए अभियुक्तगण को जमानत पर छोड़े जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त सूरज चौहान का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु0 50,000/–(पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो विश्वसनीय प्रतिभू निष्पादित करने पर सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

sd/-
(संध्या चौधरी)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–1, सुलतानपुर।
JO Code-UP6161

दिनांक 03.06.2026

(रोहित कुमार, आशुलिपिक)